न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजि0 नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/65/2025	2025/261	04.07.2025	28.10.2025

1. पंजाब एण्ड सिंध बैंक, मंडावर, दौसा जिला दौसा राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. मै0 जमुबाई फिलिंग स्टेशनप्रोपराईटर श्री कमल सिंह राजपूत पुत्र श्री हकीम सिंह
पता—(1) वार्ड नं0 12, महाराणा प्रताप कॉलोनी, बांदीकुई, दौसा राज0—303313
(2) खसरा नम्बर 1009/1575 खाता संख्या 496 नया, इसार पेट्रोल पंप ग्राम बसेठ, कठूमर रोड़ (एसएच—48) तहसील कठूमर जिला अलवर राज0—301035
2. श्री रवीन्द्र सिंह राजपूत पुत्र श्री शक्तिदान सिंह राजपूत
पता—प्लॉट नं0 76, बसन्त विहार, पांच्यावाला जयपुर राज0—302034
3. श्री लाला राम मीना पुत्र श्री भोदया
पता—हरीपुरा, पखार, दौसा जिला दौसा राज0—321613

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थी द्वारा मै0 जमुबाई फिलिंग स्टेशन प्रो0 कमल सिंह राजपूत पुत्र श्री हकीम सिंह के नाम से खसरा नम्बर 1009/1575 नया खाता संख्या 496, इसार पेट्रोल पंप ग्राम बसेठ, कठूमर रोड (एसएच—48) तहसील कठूमर जिला अलवर राज0—301035 पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 500 वर्ग मीटर सीमाऐ पूर्व—मण्डावर—कठूमर रोड़ (एसएच—48), पश्चिम—खसरा नं0 1009/1575, उत्तर—खसरा नं0 1009/1575 एवं दक्षिण—अन्य कृषि भूमि, पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर को रहन रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स दिनांक 29.07.2022 को घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिए जाते हैं :—

1—रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2.—आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः तहसीलदार कठूमर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया करावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर एवं तहसीलदार कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर